न्यायालय जिला कलक्टर, करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

1. श्रीमति शांति देवी पत्नि रूगनाथ
2. सुक्या उर्फ सुखराम पुत्र हरभजन

} जातियान मीना निवासीयान गोरडा तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज.)

– प्रार्थीगण

बनाम

1. दिलपतराम पुत्र रामसहाय
2. श्याम पुत्र मंगलराम
3. पपलेश पुत्र मंगलराम

} जातियान ब्राहाण निवासी गोरडा तहसील टोडाभीम जिला करौली

4. राजवीर पुत्र रामजीलाल
5. जगन पुत्र श्योदान
6. श्रीमन पुत्र मिश्रया
7. काडू पुत्र राजपाल
8. मोहरलाल पुत्र किशनलाल
9. बद्री पुत्र पितराम

} जातियान मीना निवासीयान गोरडा तहसील टोडाभीम जिला करौली

10. श्री दुर्गाप्रसाद मीना, उपजिला कलक्टर, टोडाभीम जिला करौली – अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बसिलसिले दावा न्यायालय एस0डी0ओ0 टोडाभीम माफी मंदिर नृसिंह जी बनाम दिलपतराम वगै0

निर्णय

दिनांक–31.03.2021

प्रार्थीगण की ओर से यह मुन्तकिल प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 235 आर.टी. एक्ट पेश कर निवेदन किया गया है कि तहत न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 88, 188, 207 आर0टी0एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया था जिसे बाद जवाब ऑर्डर 7 रूल 11 सी0पी0सी0 के तहत खारिज कर दिया गया जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के यहां प्रस्तुत की थी जिसे खारिज कर दी गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत होने पर दिनांक 12.03.2020 को दोनों मातहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने के आदेश पारित कर दिये गये तथा प्रकरण को पुनः एस0डी0ओ0 टोडाभीम को जवाब दावा लेकर तनकीयात कायम कर निर्णय दिये जाने के आदेश पारित किये गये जिस पर दिनांक 22.07.2020 को पुनः वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गयी जिस पर आगामी तारीख 23.11.2020 पेशी वास्ते जवाब हेतु नियत की गयी है। दिनांक 15.10.2020 को अप्रार्थी नं. 1 ने ऐलानिया गांव में कहा कि हमारी एस0डी0ओ0 साहब से बात हो गयी है वह हमारे पक्ष में एक दो पेशियों पर निर्णय कर देंगें तथा गांव में प्रार्थीगण पर जबरन राजीनामा करने हेतु दबाव बनाने लगे। गत पेशी पर एस0डी0ओ0 साहब टोडाभीम द्वारा खुले कोर्ट में कहा कि इसी तरीके से हम तारीख पेशी बदलवाते रहेंगें तथा प्रार्थीगण द्वारा एस0डी0ओ0 साहब से यह निवेदन करने पर कि अप्रार्थीगण उक्त भूमि को अन्य दीगर को हस्तांतरित करने पर आमादा है तथा उन्होंनें कहा कि पार्टी से राजीनामा कर लो। इससे स्पष्ट है कि माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय उक्त आराजी को लेकर भेदभाव बरत रहे है अब मुझ प्रार्थीगण को न्यायालय उपजिला कलक्टर महोदय टोडाभीम के पीठासीन अधिकारी महोदय से न्याय की कोई उम्मीद नही है। पूर्व में भी उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दौराने सुनवायी

जिला कलक्टर
करौली

राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन हो चुका है। अप्रार्थी नं. 1 गिरोहबन्ध, राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है जिन्होनें एस0डी0ओ0 साहब टोडाभीम पर भी दबाव बना रखा है, अब प्रार्थीगण को इस न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं है। अप्रार्थी नं. 1 उपजिला कलक्टर टोडाभीम द्वारा उक्त प्रकरण को अप्रार्थीगण के पक्ष में जानबूझकर करने पर आमादा है। अब हम प्रार्थीगण को उपजिला कलक्टर टोडाभीम के न्यायालय से न्याय मिलने की बिल्कुल उम्मीद नही है। हम प्रार्थी उक्त प्रकरण को एस0डी0ओ0 टोडाभीम न्यायालय से निर्णित नही करवाना चाहते है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादों को अन्य सक्षम न्यायालयों में अंतरित किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय टिप्पणी तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

वकील अप्रार्थीगण 1 ता 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मद नं. 1 प्रार्थनापत्र जिस प्रकार तहरीर किया है स्वीकार है। मद नं. 2 प्रार्थनापत्र जिस प्रकार तहरीर किया है अस्वीकार है। वास्तव में इस मद में प्रार्थीगण द्वारा बिल्कुल गलत झूठे एवं मनगढ़त तथ्य दर्ज करवा दिये है। दिनांक 15.10.2020 को या अन्य किसी भी दिन अप्रार्थी सं. 1 या अप्रार्थी सं. 2 व 3 की प्रार्थीगण से कोई बात किसी भी प्रकार की नही हुई और नाही कोई ऐलानिया धमकी ही अप्रार्थी सं. 1 ता 3 द्वारा प्रार्थीगण को दी गयी और ना ही प्रार्थीगण पर कोई किसी प्रकार का राजीनामा हेतु दबाब ही बनाया और नाही एस0डी0ओ0 साहब टोडाभीम द्वारा खुले कोर्ट में प्रार्थीगण से कोई तारीख पेशी बदलवाते रहने की बात ही कही गयी और नाही माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा प्रार्थीगण से कोई भेदभाव ही बरता है। वास्तव में माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय न्यायप्रिय एवं निष्पक्ष न्याय के पक्षधर है। अप्रार्थी नं. 1 राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति नही है और नाही अप्रार्थी नं. 1 ने पीठासीन अधिकारी महोदय पर ही कोई दबाव बनाया है बल्कि प्रार्थीगण एक मार्शल कौम के लठेत व्यक्ति है जिन्होने गांव के कुछ असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर एक गिरोह बना रखा है जो नाजायज अपनी मार्शल कौम का भय दिखाकर लट्ठ के बल पर अप्रार्थी सं. 1 ता 3 जो गरीब काश्तकार पेशा व्यक्ति है, की आराजी को हड़पना चाहते है और माननीय एस0डी0ओ0 साहब टोडाभीम पर भी इसी प्रकार माननीय न्यायालय में गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर मुंतकिल प्रार्थनापत्र पेश कर दबाव बनाना चाहते है जिसका अधिकार प्रार्थीगण को कानूनन नही दिया जा सकता। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है। मद नं. 3 प्रार्थनापत्र जिस प्रकार तहरीर किया है अस्वीकार है। इस मद में प्रार्थीगण ने बिल्कुल गलत एवं झूठे मनगढ़ंत तथ्य दर्ज करवा दिये है। माननीय उपजिला कलक्टर महोदय द्वारा संपूर्ण कानूनी प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है। वास्तव में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र में इस मद में अप्रार्थी नं. 1 उपजिला कलक्टर टोडाभीम को दर्ज किया है जो बिल्कुल गलत है। वास्तव में अप्रार्थी नं. 1 दिलपतराम है जो एक पक्षकार है। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है। मद नं. 7 प्रार्थनापत्र काबिले जवाब नही है। मद नं. 8 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार तहरीर किया है अस्वीकार है इस मद में प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थनापत्र कितने न्याय शुल्क पर पेश किया है यह स्पष्ट दर्ज नही किया है। माननीय न्यायालय में एक वादपत्र उनवानी माफी मंदिर नृसिंहजी बनाम दिलपतराम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी नं. 4 ता 9 द्वारा माननीय न्यायालय उपजिला कलक्टर महोदय टोडाभीम में पेश किया है जबकि प्रार्थनापत्र मुंतकिल मात्र दो व्यक्तियों शांतिदेवी व सुकमा के द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिससे यह स्पष्ट साबित है कि माननीय न्यायालय उपजिला कलक्टर महोदय टोडाभीम के प्रति कमेटी के सभी सदस्यगण द्वारा अविश्वास जाहिर नहीं किया। यदि वास्तव में प्रार्थनापत्र अप्रार्थी सं.

जिला कलक्टर
करौली

1 ता 3 एवं 10 पर लगाये गये आरोपों में थोडी भी कोई सत्यता होती तो उक्त व्यवस्थापक कमेटी के सभी सदस्य माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र मुंतकिल पेश करते। इससे यह स्पष्ट जाहिर है कि प्रार्थीगण द्वारा बिल्कुल गलत एवं असत्य तथ्यों पर आधारित यह प्रार्थनापत्र पेश किया है जो काबिले खारिज है। उक्त मंदिर की व्यवस्था कमेटी के तीन सदस्य अप्रार्थी सं. 5 ता 7 द्वारा दिनांक 16.09.2020 को माननीय न्यायालय उपजिला कलक्टर महोदय टोडाभीम में एक प्रार्थनापत्र पेश कर उनवानी वादपत्र माफी मंदिर नृसिंह जी बनाम दिलपत को खारिज किए जाने की इस्तदुआ चाही है जिससे व्यथित होकर मात्र प्रकरण को देरी करने की गरज से यह झूंठा एवं निराधार प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है जो काबिले खारिज है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र मुंतकिल वादपत्र के मुंतकिल बाबत कोई पर्याप्त व उचित कारण दर्ज नहीं किया है और नाही अपने प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण अविश्वसनीय है एवं काबिले गौर अदालत हाजा नहीं है। इस बिना पर भी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण काबिले खारिज है। वादपत्र जेरे प्रार्थनापत्र मुंतकिल अभी जवाब की स्टेज पर है जो प्रकरण की प्रारंभिक स्टेज है। अभी निर्णय की स्टेज से दूर है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को मुंतकिल किया जाना नाही तो न्यायसंगत है और नाही आवश्यक है। इस विना पर भी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण काबिले खारिज है। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 ग्राम गोरडा के मूल निवासी है जो टोडाभीम के नजदीक है एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 3 गरीब काश्तकार पेशा व्यक्ति है जिनपर यदि प्रार्थनापत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाकर वादपत्र को मुंतकिल किया जाता है तो आर्थिक रूप से अतिरिक्त भार पडेगा जिससे अप्रार्थीगण सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त नही कर सकेंगे। इस प्रकार पक्षकारान की सुविधानुसार भी उक्त प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण काबिले खारिज है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण मय हेवीकोस्ट खारिज फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 5, 6, 7 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थनापत्र का मद नं. 1 जिस प्रकार तहरीर है स्वीकार है। प्रार्थनापत्र का मद नं. 2 जिस प्रकार तहरीर है स्वीकार है। दिनांक 15.10.2020 को अप्रार्थी नं. 1 ने ऐलानियां गांव में प्रार्थीगण के सामने कहा कि हमारी एस0डी0ओ0 साहब से बात हो गई है तथा हमारे पक्ष में एक–दो पेशियों पर निर्णय कर देंगें तथा अप्रार्थी 1 लगायत 3 जबरन गांव में प्रार्थीगण से राजीनामा करने का दबाव बनाने लग गये तथा प्रार्थीगण से उपजिला कलक्टर टोडाभीम ने भी राजीनामा करने के लिये कहा तथा प्रार्थीगण पर उपजिला कलक्टर टोडाभीम ने राजनैतिक प्रेशर दिलवाया। इस प्रकार प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा पेश कर दिया जबकि प्रार्थीगण उक्त विवादित प्रकरण में राजीनामा पेश नही करते। इससे स्पष्ट साबित हो गया कि अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 3 की उपजिला कलक्टर टोडाभीम से बातचीत हो गई है तथा उक्त विवादित आराजीयात को मंगलराम के वारिसान ने दिनांक 11.06.2020 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र श्रीमति रामपति पुत्री बद्री जाति मीना निवासी गोरडा तहसील टोडाभीम को विक्रय कर दिया तथा यह भली–भांति जानते हुये कि उक्त माफी मंदिर की भूमि पर दावा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है तथा उक्त भूमि की क्रेता डी0एफ0ओ0 रहा है तथा राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति है जिसने अपने विधानसभा क्षेत्र में उपजिला कलक्टर टोडाभीम को प्रभाव में ले रखा है तथा उपजिला कलक्टर टोडाभीम का तारीख पेशी पर प्रार्थीगण के खिलाफ बिल्कुल रूखा व्यवहार रखा है जिससे पीठासीन अधिकारी का भेदभाव नजर आता है जिससे उपजिला कलक्टर टोडाभीम से न्याय की उम्मीद नही है। ऐसी स्थिति में जब प्रार्थीगण को टोडाभीम एस0डी0ओ0 से न्याय की ही उम्मीद नही है तो माननीय राजस्व मण्डल की नजीरों के अनुसार ऐसे प्रकरण को अपने विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र जिले के अंदर ही अंतरित कर देना चाहिये जिससे प्रार्थीगण को

जिला कलक्टर
करौली

न्याय मिल सके। प्रार्थनापत्र का मद नं. 3 जिस प्रकार तहरीर है स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 4 व 5 स्वीकार है। प्रार्थीगण को उपजिला कलक्टर टोडाभीम से न्याय की बिल्कुल ही उम्मीद नही है इसलिये उक्त प्रकरण को एस0डी0ओ0 टोडाभीम के यहां से ट्रांसफर किया जाना कानूनन न्याय संगत है। अंत में प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 4, 8, 9 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थनापत्र का मद नं. 1 स्वीकार है। प्रार्थनापत्र का मद नं. 2 जिस प्रकार तहरीर है स्वीकार है। दिनांक 15.10.2020 को अप्रार्थी नं. 1 ने ऐलानियां गांव में प्रार्थीगण के सामने कहा कि हमारी एस0डी0ओ0 साहब से बात हो गई है तथा हमारे पक्ष में एक–दो पेशियों पर निर्णय कर देंगें तथा अप्रार्थी 1 लगायत 3 जबरन गांव में प्रार्थीगण से राजीनामा करने का दबाव बनाने लग गये तथा प्रार्थीगण अप्रार्थी नं. 1 लगायत 3 के दबाव में नही आये ना ही अधीनस्थ न्यायालय में राजीनाम पेश किया लेकिन अप्रार्थीगण जगन पुत्र श्योदान, श्रीमन पुत्र मिश्रया व काडू पुत्र राजपाल ने अप्रार्थी नं. 1 लगायत 3 दावे में राजीनामा कर लिया। इससे स्पष्ट साबित हो गया कि अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 3 की उपजिला कलक्टर टोडाभीम से बातचीत हो गई है तथा उक्त विवादित आराजीयात को मंगलराम के वारिसान ने दिनांक 11.06.2020 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र श्रीमति रामपति पुत्री बद्री जाति मीना निवासी गोरडा तहसील टोडाभीम को विक्रय कर दिया तथा यह भली–भांति जानते हुये कि उक्त माफी मंदिर की भूमि पर दावा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है तथा उक्त भूमि की क्रेता डी0एफ0ओ0 रहा है तथा राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति है जिसने अपने विधानसभा क्षेत्र में उपजिला कलक्टर टोडाभीम को प्रभाव में ले रखा है तथा उपजिला कलक्टर टोडाभीम का तारीख पेशी पर प्रार्थीगण के खिलाफ बिल्कुल रूखा व्यवहार रखा है जिससे पीठासीन अधिकारी का भेदभाव नजर आता है जिससे उपजिला कलक्टर टोडाभीम से न्याय की उम्मीद नही है। ऐसी स्थिति में जब प्रार्थीगण को टोडाभीम एस0डी0ओ0 से न्याय की ही उम्मीद नही है तो माननीय राजस्व मण्डल की नजीरों के अनुसार ऐसे प्रकरण को अपने विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र जिले के अंदर ही अंतरित कर देना चाहिये जिससे प्रार्थीगण को न्याय मिल सके। प्रार्थनापत्र का मद नं. 3 जिस प्रकार तहरीर है स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 4 व 5 स्वीकार है। प्रार्थीगण को उपजिला कलक्टर टोडाभीम से न्याय की बिल्कुल ही उम्मीद नही है इसलिये उक्त प्रकरण को एस0डी0ओ0 टोडाभीम के यहां से ट्रांसफर किया जाना कानूनन न्याय संगत है। अंत में प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम ने पत्र क्रमांक कोर्ट/2020/6263 दिनांक 07.12.2020 से अवगत करवाया है कि यह सही है कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से उक्त उनवानी प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 22.07.2020 को पुनः दर्ज कर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। परंतु यह कहना कि दिनांक 22.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया जिस पर आगामी सुनवाई तिथि 23.11.2020 नियत की गई है जबकि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 22.07.2020 को पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर 19.08.2020 को जरिये सम्मन तलब किया गया है। दिनांक 19.08.2020 को प्रतिवादीगण जरिये वकालतन उपस्थित होकर पत्रावली जवाब वास्ते 16.09.2020 नियत की गई, जिसमें वादीगण 3,5,6 की ओर से जकरये वकालतन उपस्थित होकर इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि राजीनामा हो गया है, हम आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में वास्ते जवाब 23.10.2020 नियत की गई। नियत दिनांक को जवाब पेश करने हेतु समय चाहा गया, समय दिया जाकर एक मौका दिया जाकर 27.10.2020 नियत की गई। दिनांक 27.10.

जिला कलक्टर
करौली

2020 को जवाब हेतु दिनांक 23.11.2020 नियत की गई। 23.11.2020 को भी जवाब पेश करने में असमर्थ होने के कारण पत्रावली आगामी सुनवाई तिथि 04.01.2021 वास्ते जवाब नियत है। प्रार्थीयान का यह कथन कि अप्रार्थीगण से उनकी किसी प्रकार की कोई बात की गई हो, वह गलत है, ना ही किसी भी पक्षकार से भेदभाव किया जा रहा हो, ना ही किसी पक्षकार पर दबाब बनाया गया है। पत्रावली में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार ही कार्यवाही की जा रही है। यह प्रकरण अभी जवाब दावा पेश करने वास्ते नियत है। साक्ष्य सबूत के पश्चात् ही न्यायिक प्रक्रिया अनुसार सुनवाई होने पर ही प्रकरण का निस्तारण संभव है। यदि उक्त उनवानी प्रकरण अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है तो न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोड़ाभीम में दावा संख्या 64/20 व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 35/16 उनवानी माफी मंदिर नृसिंह जी बनाम दिलपतराम विचाराधीन है। दावा को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश से पुनः दिनांक 22.07.2020 को दर्ज किया गया है। उक्त प्रकरण को दर्ज कर उपखण्ड अधिकारी द्वारा उभयपक्षकारान को तलब करने हेतु नोटिस जारी किये गये हैं एवं उभय पक्षकारान को जवाब पेश करने हेतु समय–समय पर यथोचित समय दिया गया है। प्रकरण में एक साथ लंबी तारीख नहीं दी गई हैं। वर्तमान में प्रकरण जवाब की स्टेज पर है, बहस एवं निर्णय की स्टेज पर नहीं आया है। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक कार्यवाही की गई है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है। प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर जो आक्षेप लगाये गये हैं उनके समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। इसलिये हम प्रार्थना पत्र मुंतकिली को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिली खारिज किया जाता है। उभयपक्षकारान दिनांक 19.04.2021 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोड़ाभीम में उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली